बिहार सरकार
खेल विभाग
।। अधिसूचना ।।

सं0स0–01/स्था0–26(नियo)–04/2024...2818..... / पटना–15, दिनांक–.25.06.2025

भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल खेल विभाग के अधीनस्थ राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर के लिये लिपिकीय संवर्ग के कर्मियों की भर्ती एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।**– (i) यह नियमावली **"राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर की लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2025"** के नाम से जानी जायेगी।
(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(iii) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ।**– इस नियमावली में जब तक किसी विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, –
(i) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;
(ii) "विभाग" अथवा "नियंत्री विभाग" से अभिप्रेत है खेल विभाग;
(iii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, खेल विभाग;
(iv) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;
(v) "संवर्ग" से अभिप्रेत है राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर के लिपिकीय संवर्ग;
(vi) "संवर्ग नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, खेल विभाग;
(vii) "संवर्ग के सदस्य" से अभिप्रेत है राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर के लिए लिपिकीय संवर्ग में नियुक्त एवं शामिल व्यक्ति से है;
(viii) "नियत तिथि" से अभिप्रेत है इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि।

3. **संवर्ग की संरचना।**– (i) इस संवर्ग की संरचना निम्नवत् होगी–

क्र॰सं॰	पद का नाम	स्तर	प्रास्थिति
1.	निम्न वर्गीय लिपिक	मूल कोटि	अराजपत्रित
2.	उच्च वर्गीय लिपिक	प्रथम प्रोन्नति स्तर	अराजपत्रित
3.	प्रधान लिपिक	द्वितीय प्रोन्नति स्तर	अराजपत्रित

(ii) इस संवर्ग के मूल कोटि के सभी पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।
(iii) इस संवर्ग के पद का वही वेतनमान/वेतनस्तर अनुमान्य होगा जैसा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित/स्वीकृत किया जाय।

89

(iv) यह संवर्ग राज्य स्तरीय होगा एवं संवर्ग बल ऐसा होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जायेगा।

4. **अर्हता।–शैक्षणिक योग्यता**–(i) निम्नवर्गीय लिपिक के मूल पद पर सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष तथा कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

(ii) भर्ती के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्धारित/विनिश्चित की जायेगी।

5. **मूल कोटि में नियुक्ति।**–(i) बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निम्नवर्गीय लिपिक के मूल कोटि में नियुक्ति की जायेगी।

(ii) नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के आधार पर रिक्तियों की गणना करेगा और 30 अप्रैल तक आयोग को अधियाचना भेजा जायेगा।

(iii) सरकार द्वारा समय–समय पर अनुकम्पा पर नियुक्ति के संबंध में किये गये प्रावधान भी लागू होंगे। ऐसे सरकारी सेवक, जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गयी हो, के आश्रितों की, सीधी भर्ती हेतु उपलब्ध रिक्त पदों के विरूद्ध अपेक्षित मानदण्ड पूरा करने पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचारण किया जा सकेगा जिसके लिए आयोग की अनुशंसा अपेक्षित नहीं होगी।

परंतु, सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की नियुक्ति के उपरान्त प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष की शेष रिक्तियों के लिए अधियाचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजी जायगी।

(iv) नियुक्ति प्राधिकार द्वारा रिक्ति की अधियाचना विधिवत् बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजा जाएगा तथा बिहार कर्मचारी चयन आयोग रिक्तियों का विज्ञापन प्रकाशित करेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद संबंधित नियुक्ति प्राधिकार को मेधाक्रम में अभ्यर्थियों के नाम की अनुशंसा करेगा। मेधासूची की वैधता अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष तक रहेगी। किसी अभ्यर्थी के योगदान ना करने की स्थिति में मेधा सूची से अन्य अभ्यर्थियों का नाम मेधा के अनुसार अनुशंसित किया जा सकेगा।

(v) सम्यक् छानबीन के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकार अभ्यर्थियों की नियुक्ति परिवीक्षा पर एक वर्ष के लिए करेगा।

6. **आरक्षण।**– संवर्ग में भर्ती एवं प्रोन्नति हेतु राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित आरक्षण/रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे।

7. **वरीयता।**– इस संवर्ग में नवनियुक्त निम्नवर्गीय लिपिकों की पारस्परिक वरीयता आयोग द्वारा यथानिर्धारित मेधा क्रमानुसार होगी।

परन्तु अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति उन व्यक्तियों से कनीय होंगे, जो संबंधित भर्ती वर्षो में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किये जायेगें, लेकिन किसी भर्ती वर्ष में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति संबंधित भर्ती वर्ष में प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त व्यक्ति से वरीय होंगे।

8. **परिवीक्षा अवधि।**– (i) संवर्ग के मूल कोटि पर नियुक्त सदस्य पदग्रहण की तिथि से 01 वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अभिलिखित किये जा सकने वाले कारणों से इसे 01 और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

9. **प्रशिक्षण।**– नवनियुक्त निम्नवर्गीय लिपिक को यथा–अवधारित प्रशिक्षण में भाग लेना आवश्यक होगा।

10. **हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा।**– नवनियुक्त निम्नवर्गीय लिपिकों को बिहार सरकार के मंत्रिमंडल विभाग (राजभाषा) द्वारा आयोजित होने वाली हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। उक्त परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही द्वितीय एवं अग्रेतर वेतनवृद्धि देय होगी।

11. **विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम।**– नवनियुक्त निम्नवर्गीय लिपिकों को कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा तथा निर्धारित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। विभागीय परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का अवधारण केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद द्वारा किया जाएगा।

12. **सम्पुष्टि।**– परिवीक्षाधीन कर्मी की परिवीक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति, मंत्रिमंडल (राजभाषा) विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा, केन्द्रीय परीक्षा समिति तथा राजस्व पर्षद द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरान्त सेवा सम्पुष्ट की जाएगी।

13. **प्रोन्नति।**– (i) मूल कोटि से उच्चतर कोटि में प्रोन्नति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित कालावधि पूरा होने और विभाग द्वारा गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जाएगी। विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा अलग आदेश से किया जायेगा।

(ii) प्रोन्नति हेतु सरकार द्वारा समय–समय पर यथानिर्धारित कालावधि एवं अन्य अर्हताएँ पूरी करनी होंगी।

14. **अवशिष्ट मामले।**– जिस विषय अथवा जिन विषयों के संदर्भ में इस नियमावली में विशिष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया जा सका है, उनके संदर्भ में राज्य सरकार के समकक्ष स्तर के कर्मियों के लिए प्रवृत्त सभी प्रावधान, नियम, अनुदेश आदि इस संवर्ग के सदस्यों पर भी लागू होंगे।

15. **कठिनाईयों का निराकरण।**– जहाँ सरकार की राय में इस नियमावली के किसी प्रावधान से सेवा के किसी सदस्य अथवा सदस्यों के समूह को अनुचित कष्ट हो रहा हो, वहाँ राज्य सरकार विधि विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श के बाद ऐसा सामान्य या विशिष्ट निर्देश जारी कर सकेगा जो इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों के निराकरण के लिए आवश्यक हो।

16. **निर्वचन।**– जहाँ इस नियमावली के किसी प्रावधान के निर्वचन में कोई शंका हो, उसे सामान्य प्रशासन विभाग/विधि विभाग के परामर्श से, विभाग द्वारा विनिश्चित किया जायेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

17. **निरसन एवं व्यावृत्ति।**– (i) इस नियमावली के आरंभ के पूर्व निर्गत सभी संकल्प/परिपत्र एतद् द्वारा निरसित किये जाते है।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी, पूर्व की नियमावली/संकल्प/अनुदेश के अधीन किया गया कोई कार्य या लिया गया कोई निर्णय इस नियमावली के अधीन किया गया अथवा लिया गया समझा जाएगा, मानों उस दिन यह नियमावली प्रवृत्त थी, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था अथवा ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

25/06/25

(निरंजन कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :–01/स्था0–26(नियO)–04/2024.2818./ पटना–15, दिनांक–25-06/2025

प्रतिलिपि :– ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

25/06/25

(निरंजन कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :–01/स्था0–26(नियO)–04/2024.2818./ पटना–15, दिनांक–25-06/2025

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार पटना/महामहिम राज्यपाल के सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, बिहार/मुख्य सचिव, बिहार/सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/संबंधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/06/25

(निरंजन कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :–01/स्था0–26(नियO)–04/2024.2818./ पटना–15, दिनांक–25-06/2025

प्रतिलिपि :–विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद की दिनांक–10.06.2025 की बैठक में मद संख्या–02 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/06/25

(निरंजन कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।